प्रकरण संख्या 16/19 शम्भुलाल व अन्य बनाम किशनलाल के बजाय श्रीमती पारसी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 मृतक किशनलाल द्वारा विभाजन, घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद हाल अपीलान्टगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम माण्डावाडा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 10 रकबा 11 बीघा 5 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1058/474 रकबा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की मौरूसी एवं प्रतिवादी संख्या 5 की खरीदशुदा भूमि है। पूर्व में उक्त भूमि का विभाजन होकर मौके पर पक्षकारान उसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। अतः पारिवारिक ईकरार दिनांक 26.05.82 अनुसार खसरा नंबर 288 रकबा 15 बिस्वा एवं 901 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादी के खाते में रखी जाकर खातेदार घोषित किया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान सहमत होने से अपने निर्णय दिनांक 21—05—2018 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट द्वारा आदेश 26 नियम 9 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील मीमों में सेवन से कलम संख्या 5 में ''अपीलान्ट संख्या 3'' अंकित हो गया है व इबारत ''प्रतिवादी अपीलान्ट संख्या 3 के पिता बगाराम गलत'' अंकित हो गया है। अतः अपीलान्ट संख्या 3 की बजाय अपीलान्ट संख्या 5 अंकित किया जावे तथा इबारत से पिता बग्गाराम हटाया जावे। उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। न्यायहित में आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील मीमों की कलम संख्या 5 में उक्त संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, मेरिट पर उभ्यपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने बहस में बताया कि लोक अदालत में दिनांक 21.05.2018 को प्रकरण रखा गया,	

	जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 5 कोई भी उपस्थित नहीं थे, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 की सहमति लिखते हुए वाद डिक्री कर दिया, जबकि उसके द्वारा इस प्रकार की कोई सहमति नहीं दी गयी। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रकरण मेरिट पर बहस सुनकर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे। उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने सहमति के आधार पर वाद डिक्री किया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है तथा आदेशिका पर मात्र अपीलान्ट संख्या 1 शम्भूलाल के हस्ताक्षर हैं, अन्य किसी अपीलान्ट द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने सहमति का आधार लिखते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद जो स्वीकार किया है वह प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.05.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.12.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 06/2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम भंवरलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26—04—2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 07/2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम नवलसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–04–2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 08 / 2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम घीसाराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–04–2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 09/2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम नारायणलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–04–2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–04–2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 11/2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम गोपीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26—04—2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 12/2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम देवा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–04–2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 13/2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम नेनूराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–04–2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 14/2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम रामा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26—04—2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 15 / 2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम किशना व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–04–2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 16/2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम विरदसिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–04–2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 17/2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम चमना व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–04–2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 18/2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम मूला व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–04–2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 19 / 2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम शंकरलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–04–2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

प्रकरण संख्या 20 / 2018

ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम जोधा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–04–2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

<u>**प्रकरण संख्या 21 / 2018**</u>

<u>**ग्रामवासी दहेडिया, ग्रा.पं. समेलिया जरिये प्रतिनिधि पन्नालाल व अन्य बनाम राजू व अन्य**</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन व बहस के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26—04—2018 यथावत रखा जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	